निर्णय की प्रतिलिपि ऐसे कैदी को पंहुचाने के लिए जेल अधीक्षक को प्रेषित करेंगे।

2. जेल अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय से प्राप्त निर्णय की प्रतिलिपि उस कैदी को पढ़कर सुनाई जाए, जिसके प्रकरण में न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। जेल में परिरूद्ध कैदी को ऐसी भाषा में निर्णय का सार समझाया जाएगा, जिसमें कि कैदी निर्णय की जानकारी से ठीक प्रकार से अवगत हो सके।

3. जेल अधीक्षक कैदी को उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में उपलब्ध विधिक सहायता के बारे में अवगत करायेंगे तथा यदि कैदी विधिक सहायता से संबंधित अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने की इच्छा रखता हो तो उन्हें क्या–क्या विधिक सहायता उपलब्ध हो सकती है, उपलब्ध करवाएंगे।

4. प्रत्येक जेल अधीक्षक जेल में सरकार के खर्च पर वकालतनामें व शपथ–पत्र की प्रतिलिपि उसी स्वरूप में जैसी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा चाही जाती है, उपलब्ध रखेंगे जिसमें कैदी विधिक सहायता चाहने के अपने आशय को व्यक्त करेगा।

5. जेल अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि विधिक सहायता चाहने वाले कैदी के प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज/ रिकार्ड सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी या हाईकोर्ट लीगल एड कमेटी को हस्ताक्षरित वकालतनामें और शपथ पत्र के साथ रजिस्टर्ड डाक से सरकार के खर्चे पर भेज दिये गये है और यदि दस्तावेज भेजने में विलम्ब हुआ है तो विलम्ब के कारण समस्त प्रपत्रों के साथ उल्लेखित कर दर्शाते हुए भेजे जाएंगे।

6. सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में हो तो जेल अधीक्षक सरकार के खर्च पर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कराने की व्यवस्था करेगा और अनुवादित प्रति सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी या उच्च न्यायालय लीगल एड कमेटी, जैसी भी स्थिति हो, भेजेगा।

उपरोक्त दिये गये निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से प्रत्येक अपीलीय मामलों में किये जाने का प्रावधान किया गया है।

महिला बंदियों के अधिकार एवं सुविधायें –

जेलों में महिला बंदियों की देखरेख के लिए निम्नानुसार व्यवस्था है :–

- जेल में अलग रखना
- उनकी केस हिस्ट्री तैयार करना
- महिला प्रहरियों द्वारा गार्डनिंग करवाना
- जेल में साक्षर बनाने का प्रबंध
- उनके पढ़ने हेतु टेबिल कुर्सी युक्त कक्ष का प्रबंध
- अस्वस्थ महिला बंदी को लेडी डॉक्टर की सेवा उपलब्ध कराना
- छोटी सजा वाली महिला बंदी को जमानत में छुड़ाने की व्यवस्था कराना
- समाजसेवी संस्थाओं से संपर्क कर महिलाओं का पुर्नवास कराना
- विधिक सहायता उपलब्ध कराना
- मुलाकात हेतु गोपनीयता का प्रबंध करना
- मुलाकात हेतु पर्याप्त समय देना
- गर्भवती महिला की पूर्ण देखरेख करना
- माहवारी के दौरान समुचित व्यवस्था करना
- भजन कीर्तन का आयोजन करना
- पुर्नवास की दृष्टि से सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सिखाना
- जिन महिलाओं के परिवार जन उन्हें रिहाई के समय लेने नहीं आते उन्हें महिला वार्डर व पुरूष वार्डर के साथ उसके घर तक पहुंचवाना
- महिला वार्ड में पुरूषों का प्रवेश पूर्णरूपेण प्रतिबंधित होना
- महिला बंदी को महिला वार्ड से बाहर अन्य जगह नहीं जाने देना
- मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए योगाभ्यास कराना
- मनोरंजन का पूर्ण प्रबंध।

अधिक जानकारी के लिए स्थानीय निम्न कार्यालयों में संपर्क कर सकते हैं :–
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

कानूनी साक्षरता
हटाये दुर्बलता

राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन
NATIONAL LEGAL LITERACY MISSION

बंदियों के अधिकार

कारागार पाप भोगने का स्थान नहीं,
प्रायश्चित की साधना का स्थल है।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाइन्स
जबलपुर (म.प्र.)

बंदियों के अधिकार

यह सर्वविदित है कि कोई भी व्यक्ति महिला या पुरूष जन्म से अपराधी नहीं होता और न ही स्वेच्छा से कारागार में प्रवेश लेता है । समाज में गरीबी, अज्ञानता, भय, क्रोध व दुर्घटनात्मक परिस्थितियों के कारण व्यक्ति से अपराध घटित हो जाते हैं। प्रकरण के विचारण के लिए या सजा के कारण व्यक्तियों को कारागार में रहना पड़ता है, जिससे उसकी स्वच्छन्दता प्रतिबिंबित हो जाती है किंतु अन्य सभी मूल अधिकार, मानव अधिकार सामान्य तौर पर उसे मूलकर्तव्यों व दायित्वों के साथ उपलब्ध रहते है।

जेल में परिरूद्ध बंदियों के संवैधानिक अधिकार हैं:-

1. **बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने का अधिकार** :- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत अभिरक्षाधीन व्यक्ति को दाण्डिक न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में उनके विचाराधीन प्रकरण या प्रकरणों को प्रस्तुत करने के लिए प्रकरण का पूरा व्यय तथा नि:शुल्क अधिवक्ता शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । आयोजित ''लोक अदालतों'' एवं ''प्ली बारगेनिंग'' प्रक्रिया के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर त्वरित लाभ प्रदान कराया जाता है। इस हेतु विचाराधीन बंदी जेल अधीक्षक/ जेलर को विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन देकर, विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है ।

2. **संपर्क अथवा मुलाकात का अधिकार** :- प्रत्येक बंदी को माह में एक बार अपने परिवार के सदस्यों या विधिक सलाहकार से मिलने या मुलाकात का अधिकार प्राप्त है। बंदी को अधिकतम 20 मिनट तक मुलाकात करने का प्रावधान है ।

3. **विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार** :- सभी अभिरक्षाधीन व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता, सलाह, अधिवक्ता की सेवा प्राप्त करने का अधिकार है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विचाराधीन सत्र प्रकरणों में भी नि:शुल्क अधिवक्ता नियुक्त करवाने का प्रावधान किया गया है । कोई भी व्यक्ति अर्थाभाव या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने से वंचित न हो, इसका दायित्व संबंधित न्यायालय पर सौंपा गया है । विधिक सहायता के अंतर्गत प्रकरण का समस्त व्यय शासन/जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है ।

4. **पढ़ने लिखने एवं अभिव्यक्ति का अधिकार** :- कारागार/जेल में पाठशाला व साक्षरता की पूर्ण व्यवस्था रहती है बंदी को अपना अध्ययन करने का पूरा अधिकार प्राप्त है । बंदियों को विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षाओं में सम्मिलित होने का पूर्ण अधिकार है।

5. **मारपीट एवं प्रताड़ना के विरूद्ध शिकायत** :- जेलों में अनुशासन रखने के लिए जेल प्रशासन सतर्क रहता है, फिर भी कभी-कभी बंदीगण आपस में मारपीट करते है । ऐसी स्थिति में प्रत्येक बंदी को अधिकार है कि अपनी शिकायत जेल अधीक्षक को बताये । जेल में समय-समय पर जेल अधीक्षक बंदी परेड का अवलोकन करते है । प्रत्येक बंदी से उसकी समस्या पूंछते है । बंदी को कोई परेशानी होने पर वह अपनी परेशानी अभिव्यक्त कर सकता है । यदि बंदी के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों की क्षति हो रही है तो वह जेल के साथ-साथ न्यायालय, मानव अधिकार आयोग एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी शिकायत भेज सकता है।

6. **व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार** :- प्रत्येक बंदी को अधिकार है कि उसे अपने प्रकरणों के निराकरण के समय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित रखा जावे । जेलों में यदि किसी बिंदु पर असुविधा महसूस होती है या उसके अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय में सुनवाई हेतु आवेदन भेज सकता है । यदि न्यायालय उचित समझता है तो बंदी को पुलिस बल के माध्यम से न्यायालय में आवश्यक रूप से सुनवाई हेतु उपस्थित कराया जाता है ।

7. **मनोरंजक सुविधाओं में भाग लेने का अधिकार**:- जेलों में बंदियों को खेलने कूदने एवं मनोरंजन सुविधाओं में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है । बंदी प्रतिदिन निर्धारित समय में अपनी रूचि अनुसार खेल में भाग ले सकते है एवं रात्रि में निर्धारित समय तक टी.वी. देख सकते है । जेलों में बंदियों के लिए योगा प्रशिक्षण की भी सुविधा उपलब्ध है।

8. **धर्म पालन का अधिकार** :- मध्यप्रदेश जेल नियमावली के अन्तर्गत जेलों में निरूद्ध व्यक्तियों को धर्म पालन की स्वतंत्रता दी गई है । इसके अंतर्गत वे अपने धर्म ग्रंथ जेल अधीक्षक की अनुमति उपरांत अपने बैरक में रख सकते है । त्यौहार पर उपवास व पूजन आदि नियम कायदे के अंतर्गत करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है । उपवास की स्थिति में बंदियों को फलहार आदि देने की व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है ।

9. **उपचार का अधिकार** :- प्रत्येक बंदी को अस्वस्थता की दशा में उपचार पाने का पूरा अधिकार है । जेलों में चिकित्सकों के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ पदस्थ होता है। प्रत्येक बंदी को जेल में प्रविष्टि होने पर उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। जेल परिसर में प्रतिदिन चिकित्सक उपलब्ध रहते है । बंदी चिकित्सक से मिलकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र है।

10. **पुर्नस्थापना कार्य का अधिकार** :- प्रत्येक बंदी को अधिकार है कि वह जेल से मुक्त होने के पश्चात् वह सम्मान जनक नागरिक के रूप में समाज में पुर्नस्थापित हो सकता है । उसे जीवनयापन के लिए भरण-पोषण के साथ-साथ आवास की भी आवश्यकयता होती है । इस हेतु शासन की योजनायें संचालित है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कैदियों के मामले में निम्न निर्देश जारी किए गए हैं :-

1. जेल अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी जेल में परिरूद्ध कैदी को उसके अपराधिक मामले में सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय की नि:शुल्क प्रतिलिपि, निर्णय सुनाए जाने के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के अंदर प्राप्त हो गई है । संबंधित न्यायालय